राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बड़गूजर (आर.ए.एस.)

वाद सख्या
36 / 2022

रजू दिनांक
09.02.2022

निर्णय दिनांक
28.03.2024

उनवान

1. महेश कुमार पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी ढाणी डाबडवास तहसील नीमराना हाल मॉढण हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।

वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना हाल मॉढण हाल जिला कोटपूतली–बहरोड

असल प्रतिवादी

2. कृष्णा देवी पत्नी शेरसिंह
3. राकेश पुत्र शेरसिह
4. अजीत पुत्र शेरसिंह जातियान अहीर निवासीयान ढाणी डाबडवास तहसील नीमराना हाल तहसील मॉढण हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राजात अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

उपस्थितः– 1. श्री अजयपालसिंह चौहान अधिवक्ता – वादी

–::निर्णय::–

दिनांक :– 28.03.2024

आज यह पत्रावली सुनवाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि मिन वादी ग्राम ढाणी डाबडवास हाल तहसील मॉढण का रहने वाला हूँ तथा प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि अधिकारी है एवं हाल आराजी खसरा नम्बरान 383/0.64, 412/0.48, 413/0.50, 414/0.70, 432/0.70, 433/0.51, 434/0.50, 431/0.07, 431/1214/0.01 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबडवास हाल तहसील मॉढण मे स्थित हो कर विवादित आराजी कहलायेगी। उक्त आराजी मुतनाजा की जमाबंदी संवत 2056–59 के मुताबिक 1/8 हिस्से के खातेदार " शेरसिंह, कर्मचन्द, सुबेसिंह, सभाचन्द पिसरान चन्दर" दर्ज रिकॉर्ड है,जो सही दर्ज है। उक्त जमाबंदी मे दर्ज खातेदारी के मुताबिक खातेदार सभाचन्द ने अपना 1/32 हिस्सा रामकरण पुत्र शंकरलाल को जरिये रजि0 बयनामा के बेचान कर दिया, जिस बयनामा के आधार पर उक्त क्रेता रामकरण के नाम से हिस्सा 1/32 जमाबंदी संवत 2060–63 मे अंकन सही दर्ज कर दिया गया लेकिन पटवारी हल्का द्वारा शेष खातेदार "शेरसिंह, कर्मचन्द, सुबेसिंह, पि0 चन्दर के नाम हिस्सा दर्ज करते समय हिस्सा 3/32 के स्थान पर गलती व लापरवाही से बिना पूर्व रिकॉर्ड मे दर्ज खातेदारी को देखे ही 1/24 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया जो गलत इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड मे रिपीट होता रहा है और मिन वादी के पिता खातेदार शेरसिहं के फौत होने पर उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर ही शेरसिंह की विरासत का इंतकाल मिन वादी व तर0प्रतिवादी के नाम से दर्ज कर दिया गया तथा हमारे बुजुर्ग के नाम से जो हिस्सा कम दर्ज किया गया है उसे पटवारी हल्का द्वारा किसी के भी नाम से दर्ज नही किया बल्कि उक्त कम किया गया हिस्सा लुप्त चला आ रहा है। उक्त गलत इन्द्राजात से मिन वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी के हक हकूक प्रभावित होते है। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर मिन वादी द्वारा अपने खातेदारी हिस्सा को संवत 2056–59 की जमाबंदी मुताबिक दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार

साहब के समक्ष प्रस्तुत किया तो तहसीलदार साहब ने रिकॉर्ड देखकर बताया कि राजस्व न्यायालय मे वाद दायर कर के ही अपने हिस्से को दुरूस्त करवाओं इसलिए दावा दुरूस्ती इन्द्राजात का पेश करना आवश्यक हुआ है।

आराजी मुतनाजा के मौक पर मिन वादी एवं तर0प्रतिवादीगण संवत 2056–59 की जमाबंदी मे दर्ज मिन वादी के पिता के हिस्सा 1/32 के हिसाब से काबिज है लेकिन संवत 2060–63 जमाबंदी बनाते समय मिन वादी के पिता के नाम से हिस्सा 1/72 गलत दर्ज कर दिया उक्त गलत इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड मे रिपीट होता चला आ रहा है जिससे हमारे हक हकूक प्रभावित होते है जिसे दुरूस्त करवाने का मिन वादी अधिकारी है अंकित करते हुए विवादित आराजीयात के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड मे मिन वादी व तरतीवी प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 प्रत्येक के नाम से दर्ज खातेदारी हिस्सा 1/288 को जमाबंदी संवत 2056–69 एवं मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक दुरूस्त किया जाकर उनके स्थान पर प्रत्येक का हिस्सा 1/128 दर्ज किये जाने की घोषणा फरमाई जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड मे इसी अनुसार अंकन कराये जाने के आदेश फरमाये जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 बाद तलबी न्यायालय मे उपस्थित आए तथा तरतीवी प्रतिवादीगण बाद तलबी असालतन व वकालतन उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई पैरोकार सरकार को पेश करने जवाब दावा बार–बार अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नही करने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब पेश करने के अवसर को समाप्त किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वाद पत्र के जिम्मनों को दोहराते हुए पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी द्वारा वाद साबित कर दिये जाने की स्थिति मे वाद वादी डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन उपरांत दावा मे वर्णित खसरा नम्बरान के बहुत से सहखातेदारान है जिनको वादी द्वारा पक्षकार मुकदमा नही बनाया है एवं वादी द्वार उक्त दावा दुरूस्ती इन्द्राज का पेश किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड मे लुप्त किया हुआ हिस्सा किस खातेदार के हिस्से मे से कम किया जावे इस बाबत भी वादी द्वारा कोई ठोस सबूत पेश नही किए है। दावे मे सहखातेदार आवश्यक पक्षकार है ऐसी स्थिति मे सहखातेदारान की पूर्व विधिवत सुनवाई के दावे मे मिस जुवाईन्डर आफ पार्टीज का दोष होने के कारण वादी के वाद को यह न्यायालय कानूनन खारिज होने योग्य पाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मिस जुवाईन्डर ऑफ पार्टीज के दोष के कारण अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे वादी के वाद को खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

28.03.2024

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नीमराना
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बड़गूजर (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
38/2022	09.02.2022	28.03.2024

उनवान

1. महेश कुमार पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी ढाणी डाबडवारा तहसील नीमराना हाल मौंढण हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।

वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना हाल मौंढण हाल जिला कोटपूतली–बहरोड

असल प्रतिवादी

2. कृष्णा देवी पत्नी शेरसिंह
3. राकेश पुत्र शेरसिंह
4. अजीत पुत्र शेरसिंह जातियान अहीर निवासीयान ढाणी डाबडवारा तहसील नीमराना हाल तहसील मौंढण हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राजात अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

–:पर्चा डिक्री:–

वादी की ओर से श्री अजयपालसिंह चौहान की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 28.03.2024 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वाद वादी मिस जुवाईन्डर ऑफ पार्टीज के दोष के कारण अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे वादी के वाद को खारिज किया जाता है। ।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

(पंकज बडगूजर)

उपखण्ड अधिकारी नीमराना

जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

उपखण्ड अधिकारी

नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)